

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/ लै.टै / पैरामेडिकल/एफ.02/2024/437.

दिनांक 14.03.2024.

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15 (1) एफ डी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं 27.02.2022 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान-2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार राज्य सेवा में 27वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर उन्हें देय एसीपी निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन स्थान सुश्री/श्री/श्रीमती	प्रथम नियुक्ति दिनांक	पे मैट्रिक्स लेवल देय दिनांक एवं पूर्ण सेवा अवधि	स्वीकृत एसीपी	
				वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल	देय पे मैट्रिक्स लेवल
1.	हीरालाल पाटीदार, लैब टेक्नीशियन, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लसाडिया जिला - उदयपुर	08.04.1992	08.04.2019 27वर्षीय	एल-11	एल-12

कर्मचारी का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर

दिनांक 14.03.2024.

क्रमांक : ई-33/ लै.टै / पैरामेडिकल/एफ.02/2024/437.

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
- खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लसाडिया जिला -उदयपुर।
- संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके नियंत्रक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड वास्तें।
- आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6119587

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :14-03-2024 01:10:00